



स्पीड पोस्ट



मुख्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन : सी० आई० जी० मार्ग: नई दिल्ली-2

संख्या: एक्स-11/14/1/2002-यो० एवं वि०

दिनांक: 05-04-2011

सेवा में,
श्री _____

(सदस्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम)

विशय:- कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में संशोधन।

महोदय,

निदेशानुसार सूचित किया जाता है कि भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस-38012/03/2010-सा० सू०-1 दिनांक 23 मार्च, 2011 जो कि भारत का राजपत्र असाधारण भाग-2, खण्ड 3 के उप-खण्ड (i) संख्या 229(अ), मार्च 23, 2011 में प्रकाशित हुई है, के द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में संशोधन किया गया है।

अधिसूचना की प्रति सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

(एच० के० मेहता)
उप-निदेशक (यो० एवं वि०)

संलग्न: यथोपरि।

प्रतिलिपि: उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पेषित है:-

1. सभी क्षेत्रीय निदेशक/ संयुक्त निदेशक (प्रभारी) _____।

2. मुख्यालय कार्यालय के सभी अधिकारी/शाखाएं _____।

3. संयुक्त निदेशक (सिस्टम), मुख्यालय से अनुरोध है कि इस पत्र तथा संलग्न अधिसूचना को वेबसाईट में अपलोड करें।

संलग्न: यथोपरि।

(एच० के० मेहता)
उप-निदेशक (यो० एवं वि०)



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 23, 2011/चैत्र 2, 1933

No. 150]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 23, 2011/CHAITRA 2, 1933

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2011

सा.का.नि. 229(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में और संशोधन करने के कतिपय मसौदा नियम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उप-धारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 223, दिनांक 29 नवम्बर, 2010 द्वारा भारत के राजपत्र दिनांक 4 दिसम्बर, 2010 में, उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है भारत के राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से 30 दिन की अवधि की समाप्ति तक आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे।

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 4 दिसम्बर, 2010 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

तथा जबकि इस संबंध में किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा नियम बनाती है, नामतः :—

1. (1) ये नियम कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) (संशोधन) नियम, 2011 कहे जाएंगे।

(2) ये अप्रैल, 2011 के पहले दिन से लागू होंगे।

2. कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में इसके बाद प्रधान नियम के रूप में सन्दर्भित, नियम 58 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (क) में,—

(1) उप-खण्ड (ख) में, “अठारह वर्ष” शब्दों को, “पच्चीस वर्ष” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) उप-खण्ड (ग) में,—

(क) “अठारह वर्ष की आयु होने अथवा विवाह होने तक, जो भी पहले हो” शब्दों को हटाया जाएगा।

(ख) पहले परन्तुक में, निम्नलिखित परन्तुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“बशर्ते कि बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके अर्जन पर पूर्णतया आश्रित अक्षम वैध अथवा दत्तक पुत्री के मामले में आश्रितजन हितलाभ अक्षमता रहने तक अदा किया जाता रहेगा।”

3. प्रधान नियमों में, नियम 59 में, “पांच हजार रुपये” शब्दों को “दस हजार रुपये” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. प्रधान नियमों में, नियम 61 में,—

(1) आरंभिक खण्ड में, “अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर” शब्दों को, “अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर, या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले या समयपूर्व सेवानिवृत्ति लेने वाले” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (2) मद (1) में, "उसकी अधिवर्षिता के साक्ष्य" शब्दों के स्थान पर "अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति अथवा जैसा भी मामला हो, समयपूर्व सेवानिवृत्ति" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।
5. प्रधान नियमों में, नियम 61 के बाद निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :—
 "61क चिकित्सा हितलाभ की पात्रता के लिए आश्रित माता-पिता की आय-सीमा-चिकित्सा हितलाभ की पात्रता के लिए आश्रित माता-पिता की सभी स्रोतों से आय अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (11) के उप-खण्ड (v) के अंतर्गत पाँच हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक न हो।"

[फा. सं. एस-38012/3/2010-सा.सु.-1]

रवि माथुर, अपर सचिव

नोट : प्रधान नियम, अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 212, दिनांक 22 जून, 1950 द्वारा भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 224, दिनांक 4 दिसम्बर, 2010 द्वारा पिछला संशोधन किया गया।

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd March, 2011

G.S.R. 229(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, were published as required under sub-section (1) of Section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number G.S.R. 223, dated the 29th November, 2010, in the Gazette of India, dated the 4th December, 2010, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on 4th December, 2010;

And whereas no objection or suggestion has been received from any person in this regard;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Employees' State Insurance (Central) (Amendment) Rules, 2011.
- (2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2011.
2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 58, in sub-rule (1), in clause (A),—
 - (i) in sub-clause (b), for the words "eighteen years", the words "twenty-five years" shall be substituted;
 - (ii) in sub-clause (c),—
 - (A) the words "until she attains the age of eighteen years or until marriage, whichever is earlier" shall be omitted;
 - (B) for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—
 "Provided that in the case of legitimate or adopted daughter who is in form and is wholly dependant on the earnings of the insured person at the time of his death, dependants' benefit shall continue to be paid while the infirmity lasts."
3. In the principal rules, in rule 59, for the words "five thousand rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted.
4. In the principal rules, in rule 61,—
 - (i) in the opening portion, for the words "on attaining the age of superannuation", the words "on attaining the age of superannuation, or retires under a Voluntary Retirement Scheme or takes premature retirement" shall be substituted;
 - (ii) in term (i), after the words "proof of his superannuation", the words "or retirement under a Voluntary Retirement Scheme or as the case may be, premature retirement," shall be inserted.
5. In the principal rules, after rule 61, the following rule shall be inserted, namely :—
"61A. Income limit of dependent parents for eligibility to medical benefit.—The income of dependent parents for eligibility to medical benefit under sub-clause (v) of clause (11) of Section 2 of the Act from all sources should not exceed five thousand rupees in a month."

[F.No. S-38012/3/2010-SS-1]

RAVI MATHUR, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number S.R.O. 212, dated the 22nd June, 1950 and last amended *vide* notification No. G.S.R. 224, dated 4th December, 2010.